प्रेस नोट दिनांक-28.09.2025, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 28.09.2025 जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ की शक्ति वाहिनी टीमों द्वारा चलाया गया विशेष अभियान – 34 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार, 60 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों पर विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान शक्ति वाहिनी टीमों द्वारा की गई चेकिंग व दबिश के परिणामस्वरूप –
34 वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जिनमें विभिन्न गंभीर धाराओं में वांछित आरोपी भी शामिल हैं।
60 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170 BNS के तहत निरोधात्मक कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही-
वारण्टी अभियुक्तों को आवश्यक अभिलेखों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड हेतु भेजा जा रहा है।
निरोधात्मक धाराओं में गिरफ्तार 60 व्यक्तियों के विरुद्ध पाबंदनामा तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया, ताकि भविष्य में शांति व्यवस्था भंग न कर सकें।

गिरफ्तारी का विवरण-
01. वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण-
थाना कोतवाली नगर से 01, थाना कोतवाली देहात से 03, थाना अंतू से 04, थाना कोहंडौर से 01, थाना रानीगंज से 02, थाना मान्धाता से 01, थाना फतनपुर से 03, थाना पट्टी से 01,थाना आसपुर देवसरा से 01, थाना कंधई से 02, थाना जेठवारा से 02, थाना लालगंज से 02, थाना सांगीपुर से 01, थाना संग्रामगढ़ से 01, थाना उदयपुर से 03, थाना कुण्डा से 02, थाना मानिकपुर से 02, थाना नवाबगंज से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड हेतु भेजा जा रहा है।

02. धारा 170 बीएनएसएस में अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण-
थाना कोतवाली नगर से 02, थाना रानीगंज से 02, थाना फतनपुर से 02, थाना देल्हूपुर से 04, थाना पट्टी से 01, थाना आसपुरा देवसरा से 01, थाना कंधई से 8, थाना दिलीपपुर से 04, थाना बाघराय से 05, थाना महेशगंज से 7, थाना लालगंज से 02, थाना सांगीपुर से 03, थाना संग्रामगढ़ से 01, थाना उदयपुर से 07, थाना कुण्डा से 02, थाना हथिगवां से 06, थाना मानिकपुर से 01, थाना नवाबगंज से 02 विरुद्ध पाबंदनामा तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया, ताकि भविष्य में शांति व्यवस्था भंग न कर सकें।

मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत शक्ति वाहिनी टीमों द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरुक किया जा रहा है –
नारी सुरक्षा, नारी शक्ति, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के तहत आयोजित कार्यक्रमों में बालिकाओं व महिलाओं को सरकारी हेल्पलाइन नंबर (1090, 1813, 1076, 112, 1098, 102/108) तथा योजनाएँ – कौशल विकास योजना, कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर, मातृ वंदना योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना व CUG नंबर की जानकारी दी गई। इस दौरान उनसे संवाद कर सुरक्षित, सशक्त व स्वावलंबी जीवन हेतु जागरूक किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस – अपराध और अपराधियों पर कड़ा शिकंजा, महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

बयान-
मिशन शक्ति फेज अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। वारण्टी अभियुक्तों एवं निरोधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई इसी का हिस्सा है। इस प्रकार की सघन कार्यवाहियाँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

प्रेस नोट दिनांक 28.09.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, श्री बृजनन्दन राय तथा क्षेत्राधिकारी कुण्डा, श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और जनमानस में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु जनपद प्रतापगढ़ में विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सर्किल कुण्डा के थाना क्षेत्रों में गश्त और सतर्कता बढ़ाई गई। इसी क्रम में:
थाना कुण्डा – 5
थाना मानिकपुर– 1
थाना नवाबगंज – 3
थाना हथिगवां – 3

दिनांक 27/.09.2025 को कुल 12 अपराध प्रकरण छेड़खानी एवं धारा 296 B.N.S. के अंतर्गत पंजीकृत किए गए।

इन मामलों में आरोपी लोगों द्वारा आवागमन करने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील हरकते और अश्लील गाने गाए जाने की घटनाएँ सामने आई। इन गतिविधियों के कारण आम महिलाएँ संकोचवश अपना मुख ढककर उस स्थान से

चली गई। मिशन शक्ति टीम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

प्रतापगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है और इस प्रकार की घटनाओं पर शून्य सहनशीलता के साथ कार्यवाही करती है।

पुलिस का बयान
प्रतापगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत, छेड़खानी या अनुचित व्यवहार को हम शून्य सहनशीलता के साथ देखते हैं। आवागमन करने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील गाने गाना या अश्लील हरकतें करना गंभीर अपराध है।

ऐसी घटनाओं के विरुद्ध पुलिस तत्काल संज्ञान लेती है और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बनाए रखने हेतु यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

प्रतापगढ़ पुलिस – महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी

प्रेस नोट दिनांक 28.09.2025,
थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोर-चोर कहकरअफवाह फैलाने एवं हत्या का प्रयास में कुल 15 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार – पुलिस की तत्पर कार्यवाही-

घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 27.09.2025 को रात्रि वादी वादी निवासी मांसाही ग्राम दयालपुर थाना नवाबगंज अपने साथी निवासी मुरेथी लवाना भवानीगंज थाना नवाबगंज के साथ के मुरस्सापुर से दावत खाने के बाद अपने घर वापस जा रहा था । थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अदिलाबाद के रहने वाले 15 से 20 व्यक्तियों द्वारा, उपरोक्त दोनों पीड़ितों को सुंदरायिपुर में रोककर मारपीट की जाने लगी, तथा आरोपीगण द्वारा उनमें से एक पीड़ित को अपने साथ जबरन अपने गांव लाकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया । प्राप्त सूचना पर थाना नवाबगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच कर घायल व्यक्तियों को छुड़ाया गया था । पीड़ित की तहरीर पर तत्काल थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 109(1), 190, 191(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 07 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

उसी समय कुछ व्यक्तियों द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अदलाबाद में राहगीरों को डराने के उद्देश्य से अभियुक्तगण लाठी-डंडे लेकर "चोर-चोर" चिल्ला रहे थे। इस कारण राहगीर खेतों में भाग गए। अभियुक्तों ने खेतों को

घेरकर शोर मचाया और लोगों को एकत्रित कर मारपीट करने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस की त्वरित सूचना प्राप्त होने पर थाना नवाबगंज की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना नवाबगंज प्रभारी श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कालीदीन यादव मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 अजय कुशवाहा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 109(1), 190, 191(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. पुष्पेन्द्र द्विवेदी पुत्र इन्द्र नारायण द्विवेदी,
2. नान्हे तिवारी पुत्र छोटेलाल,
3. आशीष मिश्रा पुत्र शिवराम,
4. कुलदीप सरोज पुत्र मेवालाल,
5. अभिषेक तिवारी पुत्र बलदेव तिवारी,
6. दीपक शुक्ला पुत्र रामकरन निवासीगण ग्राम अदलाबाद थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
7. प्रमोद कुमार पटेल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम दयामऊ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
8. शैलेन्द्र पुत्र जगदेव यादव, उम्र लगभग 20 वर्ष
9. बैजनाथ पुत्र बदलू, उम्र लगभग 30 वर्ष
10. सत्यम पाण्डेय पुत्र छोटेलाल पाण्डेय, उम्र लगभग 22 वर्ष
11. राजेश द्विवेदी पुत्र रामजश, उम्र लगभग 53 वर्ष
12. रक्षित द्विवेदी पुत्र मंजेश द्विवेदी, उम्र लगभग 30 वर्ष
13. प्रिंश मिश्रा पुत्र महेश कुमार मिश्रा, उम्र लगभग 24 वर्ष
14. अजय कुमार द्विवेदी पुत्र रामलखन द्विवेदी, उम्र लगभग 40 वर्ष
15. सुशील पटेल पुत्र लालजी पटेल, उम्र लगभग 28 वर्ष
निवासगण ग्राम अदलाबाद, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
01. उ0नि0 कालीदीन यादव मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 अजय कुशवाहा थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।
02. थाना नवाबगंज के उ0नि0 राजनारायण सिंह, उ0नि0 श्री यशवंत यति, का0 दुर्वीन कुमार, का0 रमेश चन्द्र, पीसी एहसान अहमद

बयान-

जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाकर या मारपीट की कोशिश करके कानून को चुनौती नहीं दे सकता।

पुलिस जनता से अपील करती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षा, शांति और आम नागरिकों की रक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है।

प्रेस नोट- 28.09.2025
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, श्री बृजनन्दन राय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और जनमानस में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु जनपद प्रतापगढ़ में विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सर्किल सदर के थाना क्षेत्रों में गश्त और सतर्कता बढ़ाई गई। इसी क्रम में:
थाना जेठवारा – 5
थाना महेशगंज 3
थाना बाघराय– 3

दिनांक 27.09.2025 को कुल 11 अपराध प्रकरण छेड़खानी एवं धारा 296 B.N.S. के अंतर्गत पंजीकृत किए गए।

इन मामलों में आरोपी लोगों द्वारा आवागमन करने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील हरकते और अश्लील गाने गाए जाने की घटनाएँ सामने आई। इन गतिविधियों के कारण आम महिलाएँ संकोचवश अपना मुख ढककर उस स्थान से चली गई। मिशन शक्ति टीम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

प्रतापगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है और इस प्रकार की घटनाओं पर शून्य सहनशीलता के साथ कार्यवाही करती है।

पुलिस का बयान
प्रतापगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत, छेड़खानी या अनुचित व्यवहार को हम शून्य सहनशीलता के साथ देखते हैं। आवागमन करने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील गाने गाना या अश्लील हरकतें करना गंभीर अपराध है।

ऐसी घटनाओं के विरुद्ध पुलिस तत्काल संज्ञान लेती है और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बनाए रखने हेतु यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

प्रतापगढ़ पुलिस – महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी